हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 78

शनिवार, 14 मार्च, 2020/24 फाल्गुन, 1941(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2756 व 2758 से 2760 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। प्रश्न संख्याः 2757 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2761 से 2801 तक के उत्तर दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1004 से 1020 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने कोरोना वायरस KOVID-19 के विश्व के कई देशों तथा देश के भीतर कई प्रदेशों में फैलने लेकिन सौभाग्य से हिमाचल में अभी तक इसका कोई भी मामला positive न पाए जाने बारे विस्तृत वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए पूरी तरह सजग एवं सतर्क है। मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि प्रदेश सरकार ने पहले ही प्रदेश के भीतर बड़े समारोहों, मेलों एवं सभाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है और अब प्रदेश में स्थित सभी निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों को भी 31.03.2020 तक बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों पर भी सरकार विशेष सर्तकता एवं निगरानी रखेगी।

श्रीमती आशा कुमारी ने सुझाव दिया कि आने वाले नवरात्रों में प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने से इस तरह की बीमारी के फैलने की अधिक संभावना रहती है, इसलिए इस विषय में उचित पग उठाए जाने की आवश्यकता है।

श्री होशयार सिंह ने जानना चाहा कि क्या राज्य के विभिन्न चैक प्वाइंट्स या Air Ports पर आगंतुकों की स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर उपलब्ध हैं?

श्री जगत सिंह नेगी ने नेपाल से किन्नौर व स्पिति में आने वाले श्रमिकों की NH-5 के चौरा नामक स्थान पर स्क्रीनिंग करने का सुझाव दिया।

मुख्य मंत्री ने सदस्यों को भरोसा दिया कि संबंधित विभाग इस बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए सभी तरह की सतर्कता बरत रहे हैं तथा सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने सूचित किया कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में मॉस्क तथा सैनिटाइज़र उपलब्ध हैं। मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्थित मंदिरों के व्यवस्थापकों, मेलों के आयोजकों तथा स्थानीय प्रशासन के तालमेल से लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है।

2. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति,** (वर्ष 2019-20) ने समिति का 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफ़ारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति,** (वर्ष 2019-20) ने समिति का 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफ़ारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा एवं समापन

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
2. श्री रमेश चन्द ध्वाला

(01.22 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.10 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

चर्चा जारी -

3. श्री जगत सिंह नेगी
4. श्री मुलख राज
5. श्री बिक्रमादित्य सिंह
6. श्री जिया लाल
7. श्री रविन्द्र कुमार

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(**विपक्ष ने मुख्य मंत्री के उत्तर से असहमति प्रकट करते हुए 04.32 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।**)

मुख्य मंत्री ने चर्चा पर उत्तर पूर्ण किया।

सदन की बैठक 05.00 बजे अपराह्न सोमवार, 23 मार्च, 2020 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई ।